

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं० 56/2015-2020
नई दिल्ली, दिनांक: 5 दिसम्बर, 2018

विषय:- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के परिशिष्ट 1क में परिवर्तन के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय के ओएंडएम अनुदेश सं. 05/2018 द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों के विलय के बाद डीजीएफटी के निम्नलिखित क्षेत्रीय प्राधिकारियों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को संशोधित करते हैं:-

संशोधित क्षेत्रीय प्राधिकारी और उनके क्षेत्राधिकार

क्र. सं.	क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम	मौजूदा क्र.सं. और क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम	मौजूदा क्षेत्राधिकार	संशोधित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार
1.	लुधियाना	क्र.सं. 8 अपर महानिदेशक विदेश व्यापार 133-136, ग्रीन फिल्ड शक्ति नगर चौक के पास लुधियाना-141002 पंजाब	निम्नलिखित जिलों को छोड़कर पंजाब i) अमृतसर ii) गुरदासपुर iii) होशियारपुर iv) तरन तारन v) रूप नगर (रोपड़) और vi) साहिबजादा अजीत सिंह नगर	निम्नलिखित को छोड़कर पंजाब के जिले i) रूप नगर (रोपड़) और ii) साहिबजादा अजीत सिंह नगर
2.	मुम्बई	क्र.सं. 24 उप महानिदेशक विदेश व्यापार, आशीर्वाद बिल्डिंग, 18 जून रोड, सन्ता इनेज पणजी-403001 गोवा	गोवा	i) क्षेत्र जो आरए पुणे और आरए, नागपुर के क्षेत्राधिकार के तहत हैं, को छोड़कर महाराष्ट्र i) दमन ii) दादर एवं नगर हथेली iii) गोवा
3.	चेन्नई	क्र.सं. 30 अपर महानिदेशक विदेश व्यापार 4वां तल शास्त्री भवन अनेक्सी, 26 हैडोस रोड, नुंगमबक्कम चेन्नई-600006 (तमिलनाडु)	निम्नलिखित क्षेत्रीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के तहत क्षेत्र के सिवाय तमिलनाडु i) मदुरै ii) कोयंबटूर iii) पुडुचेरी	i) क्षेत्र जो आरए पुणे और आरए कोयंबटूर के क्षेत्राधिकार के तहत है को छोड़कर तमिलनाडु ii) पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के संघ राज्य क्षेत्र

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार के संबंध में संशोधित प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया जाता है।

(आलोक वर्धन चुतर्वेदी)
महानिदेशक विदेश व्यापार तथा
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेल: dgft@nic.in